क्रम-संख्या—941

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 56

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1695 / सत्रह-वि0-1-1-(क)-24-1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन)

अधिनियम, 1993

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1993]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 के निरसन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 1993 कहलायेगा।

(2) यह 6 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

5/93

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1992 का निरसन

2--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन

3--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

आज्ञा से,

एन0 के0 नारंग,

सचिव ।